International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 2, Issue 8, pp: 487-491 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

महिलाओं की जीवन यात्रा -एक सरल अध्ययन

डॉ. कुमारी आरती
आ. सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, टी.एन.बी.कॉलेज,भागलपुर।

Date of Submission: 15-10-2020 Date of Acceptance: 02-11-2020

शोधसार: प्रस्तुत शोध में स्पष्ट होता है कि महिला सृष्टि की अनमोल रचना है और मानव जाति का मादा स्वरूप, जो प्रकृति में प्रारंभ से ही अवस्थित है। वैदिक काल में यह पूजनीय तथा समान अधिकार प्राप्त किए हुए थी। मध्यकाल में मुस्लिम शासन के समय इनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दी गई। स्त्रीत्व की रक्षा हेतु उन्हें घर की चारदीवारी में कैद ही नहीं रहना पड़ा बल्कि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का सामना भी करना पड़ा। किंतु फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। पुरुषों के समान बराबरी का अधिकार प्राप्त करने के लिए अभी भी प्रयासरत है जिस का ही परिणाम है कि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां स्त्रियों ने अपना परचम न लहराया हो। आज ह ह क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के साथ काम कर रही हैं और सफलता भी प्राप्त कर रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार त्राने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा में समाहित करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजना और विकासात्मक कार्यक्रमों जप संचालन किया गया | संभवत: समय-समय पर आवश्यकतानुसार देश के कानून में प रिवर्तन लाया जा रहा है एवं उपयुक्त कानूनों को शक्ति से लागू कर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध से उन्हें सुरक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाओं जैसे- सबला, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं आदिके द्वारा उनमें शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल, आवास, रोजगार के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है ताकि वह अपने सशक्तिकरण के मार्ग पर आराम से चलकर सफलता प्राप्तकर सके। फलत: आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वर्निर्मित, आत्मविश्वासी है जिसने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की और फौज से लेकर राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में अपने को स्थापित ही नहीं बल्कि सफल भी बनाया है।

शब्द कुंजी- महिला, समस्याएं, जागरूकता, योजनाएं, सामाजिक।

महिला की अवधारणा

मानव के मादा स्वरूप को महिला कहते हैं। इसके कई पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल सामान्य रूप से किए जाते हैं जैसे- स्त्री, औरत, नारी आदि। कई संदर्भो में इन शब्दो का उपयोग संपूर्ण स्त्री वर्ग को दर्शाने के लिए किया जाता है।

भारतीय संस्कृति में प्राचीन वैदिक काल से ही महित्रा का स्थान सम्मानीय रहा है। मनुस्मृति (3/36) में एक उक्ति मित्रती है-

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता:।
यत्रौतास्तु न पूज्यंते सवस्ति फला: क्रिया।।

अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, जहां ऐसा नहीं होता है वहां समस्त यज्ञार्थ क्रियाएं व्यर्थ होती है। वैदिक काल में परिवार के सभी कार्यों और भूमिकाओं में पत्नी को पति के समान अधिकार प्राप्त थे। महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने के अलावा पति के साथ यज्ञ का संपादन भी करती थी। वेदों में अनेक स्थलों पर विशंभरा, सावित्री, देवयानी, कामायनी आदि विदुषियों के नाम चर्चित हैं।

मध्य काल में भारतीय नारी की स्थिति में कुछ गिरावट आ गई। मुसलमानों के शासन स्थापित हो जाने से महिला के अस्तित्व की रक्षा हेतु उन्हें घर की चारदीवारी में और उन्हें घरेलू काम तक ही सीमित रखा गया। उनके स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दी गई और कई तरह के सामाजिक बुराइयों का भी सामना करना पड़ा।
किंतु मध्यकाल में भी बहुत सारी महिलाएं समाज में राज्य प्रमुख एवं संत जैसे स्थान प्राप्त कर चुकी थी क्रमश: अहिल्याबाई होल्कर, चांद बीबी, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, संत मीराबाई, संत मुक्ताबाई, कान्होपात्रा आदि।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति

आधुनिक काल में महिला के गौरव की प्रतिष्ठा हुई है। जहां महिलाओं ने अपने शौर्य का अपूर्व परिचय दिया है वही पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आज भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ दशकों में रक्षा तथा प्रशासन सहित लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उनकी स्वायत्तता तथा अधिकारों का कानूनी एवं राजनीतिक संरक्षण ने सामाजिक नजरियों में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाया है। जिसके फलस्वरूप शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओ ने उनकी प्रतिभागिता एवं कौशल, सिनेमा, रचनात्मकता, व्यापार, संचार, विज्ञान तथा तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई बड़े बदलाव सामने आये। आज महिलाएं आत्मनिर्भर स्वनिर्मित आत्मविश्वासी हैं जिसने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डॉक्टर ना बन कर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को

अपना रही हैं। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लोकसभा स्पीकर के पद पर मीरा कुमार, सुषमा स्वराज जैसी महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पर रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाठक, श्रीमती किरण मजूमदार, सुधा मूर्ति आदि महिलाएं ख्याति स्तब्ध है। खेल जगत में भी पी.टी. उषा, सुनीता जैन, सानिया मिर्जा, अंजू चोपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आई.पी.एस. किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बुद्धि कौशल का परिचय दिया है। वास्तव में फौज, राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्र में महिलाओं ने अपने को स्थापित ही नहीं बल्कि सफल भी बनाया है।

किंतु आज आजादी के 73 सालों बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती । उन्हें आज भी कई प्रकार के धार्मिक रीति-रिवाजों, कुत्सित रुढ़ियों, यौन अपराधों, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, निम्न स्तरीय जीवन शैली, अशिक्षा, कुपोषण, दहेज उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक और सुरक्षा तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है।

आधुनिकता के विस्तार के साथ-साथ देश में दिनों दिन बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एन.सी.बी. रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में महिलाओं के प्रति 2015 में 329243 , 2016 में 338954 , 2017 में 359849 , 2018 में 378236, 2019 में 40586। हुए है। फिर भी महित्राओं ने हार नहीं मानी है और शैक्षणिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में महिलाओं की साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है, किंतु अभी भी पुरुषों की अपेक्षा कम है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में लगभग बराबर चल रही है। आधुनिक समाज में महिला के संवैधानिक अधिकार स्वतंत्रत के उपरांत भारत में निश्चित रूप से महित्रा की स्थिति में आशातीत बदलाव हुए हैं। शहरों में ही नहीं ग्रामीण प्रवेश में रहने वाली महिलाओं में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है।

भारतीय संविधान में भारतीय महिलाओं को समान अधिकार अनुच्छेद -14, राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने अनुच्छेद- 15(2), एक अवसर की समानता अनुच्छेद -16, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद -39(घ) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 2, Issue 8, pp: 487-491 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15(13)), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमान जनक प्रथाओं का परित्याग करने के लिए अनुच्छेद 15 (ए) (ई) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियां सुरक्षित करते प्रसूता सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है (अनुच्छेद42)आदि अनेक प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 , दहेज प्रति निषेध अधिनियम 196। , कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 , महिलाओं का अशिष्ट रूपन(प्रतिषेध) अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987 , राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 , गर्भधारण पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न प्रति निषेध अधिनियम 2013, दंड विधि संशोधन 2013, भारतीय महिलाओं को अपराध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक दशा में सुधार करने के लिए बनाए गए प्रमुख कानूनी प्रावधान है। कई राज्यों की ग्राम व नगर पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही पिता के संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है।

महिलाओं के लिए विशेष सरकारी योजनाएं

सरकार द्वारा देश भर में कई योजनाएं चलाए जाते हैं , जिससे महिलाओं को लाभ पहुंचाया एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके जिसमें -

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (2020)
2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016)
3. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015)
4. सुकन्या समृद्धि योजना (2015)
5. प्रधानमंत्री आवास योजना (2015)
6. जन -धन योजना (2014)
7. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला),(2011)
8. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (2010)
9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (2004)
10. स्वाधार घर योजना 2001 -02)
11. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (step), (1986 -87)

इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर में कम ब्याज, एच.डी.एफ.सी. बैंक की वूमन पावर स्कीम, स्टांप इयूटी में छूट, टैक्स में छूट, विभिन्न तरह के होम लोन की सुविधा एवं छूट आदि का लाभ दिया जाता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी अपने राज्यों में कुछ विशेष सुविधाओं की घोषणा समय-समय पर की जाती है और उनका लाभ भी महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लंबे समय से करती आ रही है और यही कारण है कि आज महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह से बदलाव भी दिखाई देने लगे हैं। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज ना करायी हो। आज वह सामाजिक, राजनीति, धार्मिक सभी क्षेत्रों में फिर से अपना स्थान बना चुकी है और यह उम्मीद की जाती है कि इन सभी योजनाओं के लाभ का सकारात्मक परिणाम सभी के सामने आएंगे।

महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण

सरकार द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम महिला सुरक्षा और समानता के लिए कारगर साबित हो रहा है किंतु सामाजिक सुधार गति इतनी धीमी है कि इसके यथोचित परिणाम स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रहे हैं जिसके लिए और भी द्रुतगति से क्षेत्र में जन-जागृति और शिक्षा पहुंचाने का कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा सभी दोस्तों से छुटकारा दिल्ञाने का आधारभूत साधन है। एक शिक्षित स्त्री ना केवल अपना बल्कि परिवार के तीन पीढ़ियों का कल्याण कर सकती है।

इसलिए शिक्षा को केंद्र बनाकर तथा समुचित साधन और कानूनों का पालन सुनिश्चित करके देश को महिला अपराध मुक्त बनाया जा सकता है। शिक्षा के साथ-साथ सशक्तिकरण भी महिला को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका का निर्वाह करती है। देश में 70 के दशक से महिला सशक्तिकरण तथा फेमिनिज्म शब्द प्रकाश में आए और 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरूक बनाने के प्रयास किए गए। महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2001 में प्रथम बार 'राष्ट्रीय महित्रा उत्थान नीति' बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताएं निर्धारित किया जाना संभव हो सके। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धांतिक तथा वस्तुतः उपभोग पर तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी व निर्णय स्तर तक समान पहुंच पर बल दिया गया है।

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1990 में भूमंडलीकरण तथा उदारवाद के बाद विदेशी निवेश द्वारा स्थापित गैर सरकारी संगठनों के रूप में अभूतपूर्व तेजी आई इन संगठनों ने भी महिलाओं को जागृत कर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति चेतना विकसित करने तथा उन्हें सामाजिक या आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की महती भूमिका अदा की है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं में प्रचलित निकाह, हलाला तथा तीन तलाक जैसे पुरातन पंथी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई में मदद के साथ-साथ सफलता भी दिलाई। केंद्र सरकार ने 27 नवंबर को बेटी दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भ्रूण हत्या को रोकने, लिंग अनुपात के घटते स्तर में संतुलन लाने के प्रयास के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है।

उपसंहार

स्वतंत्रता के उपरांत भारत में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार एवं आशातीत परिवर्तन हुए हैं। सरकार द्वारा महिलाओं को विकास की अखिल धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्व के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरुचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी की ओर अगर साबित करने जैसे उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है। फलस्वरूप शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में रहने वाली महिलाओं में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार एवं सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं दोनों का लाभ उन्हें मित्र रहा है, फलस्वरूप महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है,अपना व्यक्तित्व एवं अपना पहचान बना रही हैं। भूमंडलीकृत दुनिया में भारत और यहां की महिला ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50% महिलाएं डॉक्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करती है। आजादी के बाद लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री बन चुकी है।

जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा है कि यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास हो जाएगा। महिला विकास से संबंध परिवार समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र से है। चुकी महिला ही माता के रूप में प्रथम अध्यापिका होती है जो बच्चे में शिक्षा और संस्कार की नीव डालती है। इसलिए आवश्यकता है कि पुरुष स्त्री को एक देह नहीं इंसान के रूप में स्वीकार करें तथा स्त्री भी उसे प्रतिद्वंदवी ना समझे दोनों एक दूसरे को

अपना निर्धारक माने और पुरुषों का कर्तव्य भी बनता है कि उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि उनके शक्ति, क्षमता, आत्मविश्वास, संकल्प, दृढ़ता, साहस, धैर्य जैसे गुणों का विकास हो।

संदर्भ सूची

1.Women & Society, North India in 11th 12thCentury,Saroj Gulati.

2. Status of women in India, ICSSR.

3.Indian women, Ed. Devika Jain

4.hindi.webdunia.com

5.mycoaching.in

6.hi.n.wikipedia.org

7.civihindi pedia.com

8 w.w.w.India.gov.in

9. www.naidunia.com

10.www.India.com

11.hindi.theprint.in